का अधिग्रहण किया है। P.O. साहब ~~दौरे~~ ~~पर/अवकाश पर~~/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि० 1.6.2014 को पेश हो।

रीडर

अपीलार्थी

16.1.14 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/वकील~~ ~~प्रतिवादी~~ उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली दि० 27.11.14 को पेश हो।

रीडर

अपीलार्थी

27.11.14 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/वकील~~ ~~प्रतिवादी~~ उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली दि० 9.1.2015 को पेश हो।

रीडर

अपीलार्थी

9.1.15 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/वकील~~ ~~प्रतिवादी~~ उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली दि० 13.3.15 को पेश हो।

रीडर

पी.ओ. साहब दौरे पर है

अपीलार्थी

13.3.15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/ ~~वकील~~ ~~उभयपक्ष~~ उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली दि० 14.3.15 को पेश हो।

रीडर

14.3.15 पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। बहस सुनी गई। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

7409
21.3.15

3597
19.8.15

पीठासीन अधिकारी श्री मुनिदेव यादव, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2013	01.03.2013	14.03.2015

रूपसिंह पुत्र राजूलाल जाति मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी ——अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
2. सरपंच ग्राम पंचायत टोकसी
3. अमरसिंह पुत्र धनराज जाति मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
4. धनराज पुत्र राजूलाल जाति मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी
5. लक्ष्मीचंद उर्फ लक्खी पुत्र राजूलाल, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी

——रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 8 दिनांक 30.6.86 ग्राम विनेगा

उपस्थित:— श्री गोपाल लाल शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री ~~अशोक कुमार शर्मा, एडवोकेट~~ नायब तहसीलदार गंगापुर, रेस्पो0 नं0 1 की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि अपीलान्ट के पिता राजूलाल का स्वर्गवास 1986 में हो गया था। राजूलाल के तीन लडके धनराज,लक्ष्मीचन्द,रूपसिंह हैं। राजूलाल की मृत्यु के समय अपीलार्थी रूपसिंह छोटा था। राजूलाल की मृत्यु के बाद पटवारी हलका टोकसी व गिरदावर हलका टोकसी ने विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 30.6.86 को खोलकर सरपंच ग्राम पंचायत टोकसी से तस्दीक करवाया। कथित नामान्तरकरण में अंकित प्रविष्टियां गलत हैं। राजूलाल के तीन लडके धनराज, लक्खी, रूपसिंह हैं। उक्त नामान्तरकरण में धनराज व लक्खी का नाम तो सही अंकित किया गया है लेकिन अमरसिंह का नाम नामान्तरकरण में गलत अंकित किया गया है। अमरसिंह की जगह रूपसिंह का नाम आना चाहिए था जबकि अमरसिंह को भी राजूलाल का पुत्र बना रखा है जबकि अमरसिंह धनराज का बेटा है। राजूलाल की जायदाद व खातेदारी भूमि से अमरसिंह का कोई सम्बन्ध नहीं है। नामान्तरकरण में हलका पटवारी एवं सरपंच ने नामों का इन्द्राज करते समय अमरसिंह का नाम इन्द्राज कर गलती की है। यह नामान्तरकरण इसी बिना पर निरस्त योग्य है। पिता की मृत्यु के समय अपीलान्ट छोटा था। भाईयों ने ही परवरिश की है। रिकार्ड के बारे में उसे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि पिताजी के मरने के बाद विरासत के नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम अंकित नहीं हुआ है। चूंकि दिनांक 16.9.2012 को परिवार में आपस में जमीन संबंधी बात को लेकर आपस में अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट नं0 3 ता 5 में कहा सुनी गई इस पर रेस्पोन्डेन्ट अमरसिंह ने अपीलांट से कहा कि तेरे हिस्से की जमीन तो मेरे नाम है तू ज्यादा तेज मत बोल तुझे अब भूमि को भी काश्त नहीं करने दूंगा। इस पर अपीलांट दूसरे दिन तुरन्त पटवारी हलका से मिला तो ज्ञात हुआ कि कथित नामान्तरकरण में ही अपीलांट की जगह अमरसिंह ने अपना नाम चालाकी से दर्ज करवा लिया है। मूल नामान्तरकरण की सत्यप्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थी ने रिकार्ड रूम सवाई माधोपुर में दर0 लगवा दी। मूल नामान्तरकरण की सत्य प्रति अपीलांट को दिनांक 29.10.12 को शाम को प्राप्त हो गई लेकिन दिनांक 30.10.12 को अपीलांट मियादी हो जाने के कारण सही समय पर अपील पेश नहीं कर सका। अपीलांट काफी कमजोर हो गया अब तबियत में सुधार हुआ है इसलिए आज दिनांक 14.2.13 को यह अपील कर रहा है। आदेश दिनांक 30.6.86 की नोलेज दि0 16.9.2012 से 14.2.13 तक के बीच के समय को माफ किया जाकर अपील मियाद में शुमार की जावे । उक्त तथ्यों बाबत् अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम की दर0 अलग से पेश कर दी है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर दि0 30.6.86 को ग्राम विनेगा में राजूलाल के वारिसों के नाम जो नामान्तरकरण संख्या 8 खोला गया है उसे निरस्त किया जावे एवं पुनः सही राजूलाल के वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश रेवेन्यु अधिकारियों को दिए जावें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को तलव किया गया एवं मूल नामान्तरकरण मंगवाया गया । रेस्पोन्डेन्ट्स बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए ।

अपील के साथ अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 30.6.86, फोटोकोपी प्रमाणपत्र प्राविधिक शिक्षा विभाग, फोटोकोपी जाति प्रमाण पत्र रूपसिंह, फोटोकोपी परिचय पत्र रूपसिंह, फोटोकोपी परिवार राशनकार्ड रूपसिंह, पंचायत मतदाता सूची 2004 ग्राम पंचायत टोकसी वार्ड संख्या 11 की प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत टोकसी का प्रमाण पत्र दिनांक 28.11.2001, फोटोकोपी परिचय पत्र अमरसिंह पुत्र धनराज, नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 पेश किए हैं।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई ।

अपीलांट के वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि राजूलाल के तीन पुत्र धनराज,लक्खी व स्वयं अपीलांट हैं। राजूलाल के निधन के बाद विरासत का नामान्तरकरण उसके वारिसों के नाम खोला गया जिसमें अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया बल्कि अपीलांट के स्थान पर अपीलांट के भाई धनराज के पुत्र अमरसिंह का नाम दर्ज कर दिया गया जो गलत है। अपीलांट उस समय छोटा था, समझता नहीं था । अब जब अपीलांट को इस गलती की जानकारी हुई तो अपीलांट ने यह अपील पेश की है जो स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किया जावे एवं राजूलाल के सही वारिसों के नाम नामान्तरकरण खोला जावे।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अपीलार्थी का राजूलाल का पुत्र होना साबित है एवं अमरसिंह का धनराज का पुत्र होना साबित है। राजूलाल का विरासत का नामान्तरकरण जो खोला गया है उसमें उसके दो पुत्र धनराज व लक्खी का नाम तो दर्ज है परन्तु तीसरे पुत्र रूपसिंह का नाम दर्ज नहीं है बल्कि उसके स्थान पर धनराज के पुत्र अमरसिंह का नाम दर्ज हुआ है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 30.6.86 ग्राम टोकसी निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट्स सुनकर एवं मृतक राजूलाल के वारिसों की जांच कर राजूलाल के वारिसों के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करें। अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट दिनांक 15.4.2015 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित होवें।

निर्णय की सत्यप्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे ।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी